राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य।
- 4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य।
- डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य।
- 6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9774/2023 Shri Sunil Jain Owner, R/o Kalabag, Bareth Road, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Rabaryai Crusher Stone Quarry in an area of 1.772 ha. (5700 Cum per annum) (Khasra No. 78/1 Govt.) Village-Rabaryai, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 78/1 Govt.) Village-Rabaryai, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP) 1.772 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील जैन और उनकी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 2121 दिनांक 23/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके पूर्व दिशा में 480 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 240 मीटर पर शेड है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह शेड उद्योगों के हैं, जिसमें पत्थर काटने का कार्य किया जाता है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2122 दिनांक 23/08/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि खनन पट्टे के ब्यौरे को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा। चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा

उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई, जिसे समिति समक्ष आज दिनांक 16/05/23 को रखा, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील जैन और उनकी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पास 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें दृष्टिगत हो रही है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 23 / 08 / 2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत / संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये काफी पुराने पिट हैं, जो गूगल इमेज अनुसार 2005 से भी पूर्व के है तथा वर्तमान में इनमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा हैं । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान श्रीमती राजकुमारी रघुवंशी को वर्ष 2010 से 2020 तक आवंटित थी तथा हमको दिनांक 24/02/22 को स्थानांतरित हुई है । इस खदान में उत्खनन् कार्य 2014–15 तक हुआ है, जिसमें 10,380 घनमीटर का उत्पादन किया गया है, जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पूर्व में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई थी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पर्यावरण वन एवं जल वायू परिवर्तन मंत्रालय द्वारा **डिया से ई.सी.** . का पालन प्रतिवेदनः कमांक 18-डी-33/2022 दिनांक 19/01/23 के द्वारा जारी किया गया । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 45 पेड प्रति हेक्टेयर की दर से 90 पेड लगाये जाने थे जिनमें से उनके द्वारा 60 पेड़ लगाये गये है एवं सी.ई.आर. योजना के अंतगर्त सडक मरम्मत आदि का कार्य कराया गया । परन्तु समिति ने पाया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है ।

ई.सी. का पालन प्रतिवेदन के अनुरूप परियोजना प्रस्तावक ने प्रथम वर्ष स्वीकृत क्षेत्र या उसके आस पास वाटर रिचार्ज हेतु ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव, खदान क्षेत्र से पक्की सड़क तक एवं गाँव की पक्की सड़क का रखरखाव किया जाएगा, एफडीआर की राशि से खदान खत्म होने पर माइन क्लोसर कार्य किया जाएगा, गाँव में पंचायत की सहमति से तालाब निर्माण में सहयोग दिया जाएगा आदि प्रस्तावो का सी.ई.आर. योजना में शामिल किया है अतः समिति की अनुशंसा है कि यदि प्रकरण में पूर्व में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई है तो उसका विवरण तथा शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 5700 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.28 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.53 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
>	ग्राम रबरयाई के प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट निर्माण DEIAA द्वारा दी	50,000
	गई शर्तो का पालन प्रथम वर्ष में सुनिश्चित किया जाएगा	
>	स्वीकृत क्षेत्र या उसके आस पास वाटर रिचार्ज हेतु ट्यूबवेल लगायेंगे	50,000
>	खदान क्षेत्र से पक्की सड़क तक एवं गाँव की पक्की सड़क का रखरखाव	50,000
	किया जाएगा	
>	एफडीआर की राशि से खदान खत्म होने पर माइन क्लोसर कार्य किया	30,000
	जाएगा	
>	गाँव में पंचायत की सहमति से तालाब निर्माण में सहयोग दिया	50,000
	जाएगा	
	योग	2,30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2030 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सिस्सू, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।	800(+30 DEIAA)
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ।	400
3	गाँव में वितरण	आम, जामुन, मुनगा एवं अन्य प्रजातियाँ।	800
		कुल	2030

2. Case No 9893/2023 Shri Rahul Yadav, Lessee, R/o Ward Number 10, Village-Simra Number 01, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Simra Flagstone Quarry in an area of 2.00 ha. (2210 Cum per annum) (Khasra No. 858/19), Village-Simra, Tehsil-Rithi, District-Katni (MP)

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 858/19P), Village-Simra, Tehsil-Rithi, District-Katni (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. Case No 9615/2023 Shri Ajay Pathak Partner, M/s Maa Infratech, Vijay Nagar, Sector No.-3, District-Gwalior (MP)-474012, Prior Environment Clearance for Upcha Stone & M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-25000 & M-sand-25000 Cum per annum) (Khasra No. 927), Village- Upcha, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 927), Village- Upcha, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाठक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात)उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 11038 दिनांक 11/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर पूर्वी दिशा में 100 मी. पर आबादी, पूर्व दिशा में 41 मी. पर, दिक्षण—पूर्व में 50 मी. पर एंव 308 मी. पर शेड स्थित है। उत्तर—पश्चिम में 292 मी. पर मौसमी नाला एंव एक पूर्व उत्तर दिशा में 104 मी. पर कच्चा रोड है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। मौसमी नाले के संरक्षण हेत् गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। उक्त खदान

नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क0. 25 एंव सरल क0. 10 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 25,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम. सेंड — 25,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.93 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.61 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर.	राशि (फ.में)
उपचा के नजदीक स्थित प्राथिमक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार स्वास्थ केंद्र में उपयोग हेतु सामग्रीध्उपकरण उपलब्ध कराये जावेंगे।	80,000/-

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1550 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पीपल,चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, बरगद, करंज आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— करंज, नीम, चिरोल, पीपल, सिरसू, कदम, पुत्रंजीवा आदि।	200
3	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	200
4	ग्राम उपचा के नजदिक स्थित ग्राम पंचायत में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, मोलश्री, सिस्सू, बरगद, पीपल, कचनार, कदम , चिरोल आदि।	150
5	ग्राम उपचा एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला आदि।	1300
योग			1550

सिया के पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04/04/23 के द्वारा खदान पहाड़ी पर स्थित है और अभी इस पहाड़ी पर कोई खनन् कार्य नहीं हो रहा है । खदान के उत्तर दिशा में आबादी, पूर्व व दक्षिण—पूर्व पर कुछ शेड स्थित है तथा उत्तर दिश में कच्चा रोड़ है । गूगल इमेज से साफ दिखता है कि खदान से लगी हुई पहाड़ी के नीचे आबादी तथा यह एक वर्जन पहाड़ी की श्रृंखला है, जिसमें खनन् कार्य होने से आबादी को प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं का भी सामना करना होगा । इसके अलावा पहाड़ी के खनन् कार्य से Subsidence की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसका पूरी पहाड़ी की श्रृंखला में पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने से बहुआयामी यूनिक माउटेन ईको सिस्टम प्रभावित होने की संभावना है । इसके अलावा खनन् कार्य से आसपास के भू—दृश्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी ।

प्रकरण की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रकरणों में एक बार खनन् कार्य शुरू होने से पूरी पहाड़ी की श्रृंखला पर आने वाले समय में खनन् कार्य बढ़ने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसका आबादी पर पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा । उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

प्रकरण आज दिनांक 16 / 05 / 23 को प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाठक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात)उपस्थित हुए।

उपरोक्त प्रकरण में जैसा कि सिया ने उल्लेख किया है कि यह एक वर्जन पहाड़ी है । गूगल इमेज में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह वर्जन पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी के उत्तर पूर्व में पहाड़ी के ऊपर ही लोगों ने अपने मकान जगह—जगह बना रखे है । नीचे से ऊपर तक (काफी संख्या में) निश्चित रूप से इस प्रकार से आबादी बसना किसी पहाड़ी पर पहाड़ के श्रृंखला के दृष्टिकोण से एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से ऐसी बासाहट उपयुक्त नहीं कहीं जा सकती । खनन् कार्य बासाहट के विपरीत दिशा में एवं ढाल के दूसरी तरफ भी है जिससे कि यहां पर पानी बहकर आबादी के तरफ आने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो अक्षांस—देशांस दिये गये थे वे अक्षांस—देशांस खनिज अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 1836 दिनांक 02/3/23 के द्वारा बताया कि वे सही है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति से निवेदन किया कि सिया द्वारा उल्लेखित पर्यावरणीय संवेदनशील बिंदुओं को स्पष्ट करने हेतु कुछ समय दिया जावे । समिति ने परियोजना प्रस्तावक का निवेदन को स्वीकार करते हुए 15 दिवस का समय दिया जाता है ।

4. Case No 9782/2023 Shri Mahavir Singh, Owner, R/o Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal, District-Morena (MP)-476444, Prior Environment Clearance for Girgoni Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2100 Cum per annum) (Khasra No. 365, 574 Private) Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal Bamore, District-Morena (MP)

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 365, 574 Private) Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal Bamore, District-Morena (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 633वीं बैठक दिनांक 06/04/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री महावीर सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 1230 दिनांक 24/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान निजी भूमि पर आवंटित है तथा 01 हे. का न्यूनतम् क्षेत्र पूर्ण करने बावत् खदान 02 भागों में आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि दोनों क्षेत्र के बीच में क्लिंन स्थापित है, जिसमें इस खदान से निकलने वाली मिट्टी द्वारा निर्मित ईटों को पकाया जायेगा। समिति ने पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के एक भाग के पूर्वी दिशा में 10 मीटर की दूरी कच्चा रोड़ तथा दूसरे भाग के उत्तर दिशा में 320 मीटर पर आबादी है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मिट्टी का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनन् की अधिकतम् गहराई 02 मीटर होगी, जो मैन्युअली किया जावेगा । उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क0. 21 एंव सरल कमांक 36 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को—आर्डिनेट नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :—

- 1. स्थापित क्लिन में कौन सा ईधन उपयोग में लाया जायेगा ।
- 2. प्रस्तावित ईधन का सोर्स क्या है ।
- 3. ईधन के जलाने से जो राख उत्पन्न होगी उसका निष्पादन कैसे किया जायेगा ।
- 4. ईट बनाने के दौरान उपयोग में आने वाला पानी कहां से प्राप्त किया जायेगा ।
- खनन् की गहराई 2.5 मीटर हेतु स्पष्टीकरण ।

प्रकरण आज सेक की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए

प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

5. Case No. – 6127/2019 Shree Mulshankar Lohar S/o Shree Ramratan Lohar, Village - Anantkhedi, Tehsil - Petlawad, Dist. Jhabua, MP – 457773 Prior Environment Clearance for Crusher Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (19,000 cum per annum) (Khasra No. 512), Village - Anantkhedi, Tehsil - Petlawad, Dist. Jhabua (MP).

This is case of Crusher Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 512), Village - Anantkhedi, Tehsil - Petlawad, Dist. Jhabua (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

6. <u>Case No 9777/2023 Shri Pavan Kumar S/o Shri Amratlal Singh Yadav R/o Village-Jigani, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Jigani Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2200 Cum per annum) (Khasra No. 2377, 2388 Pvt. land) Village-Jigani, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)</u>

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2377, 2388 Pvt.) Village-Jigani, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 633वीं बैठक दिनांक 06/04/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार (अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र कश्यप) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वर्रूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंनवायरो इण्ड. कंसल्टेंट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 20/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान निजी भूमि पर आवंटित है तथा 01 हे. का न्यूनतम् क्षेत्र पूर्ण करने बावत् खदान 02 भागों में आवंटित है । परियोजना

प्रस्तावक ने यह भी बताया कि दोनों क्षेत्र के बीच से एक छोटी नहर निकल रही है जो डिस्ट्रीव्यूटरी केनाल है जो वर्तमान उपयोग में नही है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मिट्टी का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनन् की अधिकतम् गहराई 02 मीटर होगी, जो मैन्युअली किया जावेगा । समिति ने पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के एक भाग के दक्षिण दिशा से 10 मीटर तथा दूसरे भाग के उत्तर दिशा से 20 मीटर की दूरी पर नहर (डिस्ट्रीव्यूटरी केनाल) है जिसे नाले के समतुल्य मानते हुए 50–50 मीटर सेट बेक छोडा जाना चाहिए, आवंटित खनन् एक भाग में क्लिंन स्थापित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी क्लिंन है जिसका उपयोग ईटो को पकाने में किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में सिर्फ पुरानी क्लिंन स्थापित है तथा स्वाईल माईनिग का काम नही किया गया है अतः प्रकरण वायलेशन का नही है । उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क0. 15 एंव सरल कमांक 25 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को—आर्डिनेट नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :—

- 1. आवंटित खनन् क्षेत्र के एक भाग के दक्षिण दिशा से 10 मीटर तथा दूसरे भाग के उत्तर दिशा से 20 मीटर की दूरी पर नहर (डिस्ट्रीव्यूटरी केनाल) है, अतः 50–50 मीटर सेट बेक छोडते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- 2. स्थापित क्लिन में कौन सा ईधन उपयोग में लाया जायेगा ।
- 3. प्रस्तावित ईधन का सोर्स क्या है ।
- 4. ईट बनाने के दौरान उपयोग में आने वाला पानी कहां से प्राप्त किया जायेगा ।
- 5. ईधन के जलाने से जो राख उत्पन्न होगी उसका निष्पादन कैसे किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई, जिसे समिति समक्ष आज दिनांक 16/05/23 को रखा, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार (अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र कश्यप) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंनवायरो इण्ड. कंसल्टेंट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मिट्टी 2200 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.20 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.35 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु . में)
·	

शासकीय प्राथमिक शाला जीगनी में 1 0बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	15,000
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीगनी पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000
योग	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में प्रथम वर्ष	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर) प्रथम वर्ष	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3.	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250
4.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
5.	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
6.	ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
		कुल	1,000

7. <u>Case No. - 9887/2023 Shri Abhishek Pandey, R/o Pawai, District-Panna (MP)-488446, Prior Environment Clearance for Kuthariya Flagstone- 1800 M³, Boulder - 2700 M³ Quarry in an area of 2.00 ha. (Khasra No. 280), Village-Kuthariya, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP)</u>

This is case of Flagstone & Boulder Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 280), Village-Kuthariya, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 16/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक पाण्डे ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1710 दिनांक 05/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी दिशा में 156 मी. की दूरी पर एक पक्का रोड़ है, दक्षिण—पश्चिमी दिशा में क्रमशः 222 मी. एंव 330 मी. पर बिखरे हुये आवासीय मकान है तथा एक कच्चा रोड़ खदान में से होकर निकल रहा है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधीन खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं लीज का अल्प भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा हमारे द्वारा कोई खनन् कार्य नहीं किया गया है । खुदा हुआ भाग माईनिंग प्लान में दर्शाया गया है ।

कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला पन्ना ने पत्र क्रमांक 1710 दिनांक 05/12/22 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त खदान स्वीकृति उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित की जावेगी । सिमित ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन 1800 मी³ प्रति वर्ष एवं बोल्डर — 2700 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.22 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 03.31 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम कुटरिहया के प्राथमिक भााला में बच्चों के बैठनें के लिये 10 टेबल और 10 कुर्सियों का वितरण किया जायेगा।	50,000 /-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन प्रथम वर्ष	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू, केतकी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01. 5 मीटर ट्री गार्ड के साथ) प्रथम वर्ष	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	100
3.	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1300
		योग	2400

8. <u>Case No 9794/2023 Shri Relam, R/o Village-Sevariya, Post-Kanwada, Tehsil-Jobat, District-Alirajpur (MP)-457990, Prior Environment Clearance for Chak Ubrasi Stone & M-Sand Mine in an area of 4.250 ha. (Stone – 1,85,000 Cum/Year and M-Sand – 15,000 Cum/Year) (Khasra No. 3, 4, 21) Village-Chak Ubrasi, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone & M-Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3, 4, 21) Village-Chak Ubrasi, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 4.250 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 634वीं बैठक दिनांक 07/04/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रेलम (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र कमांक 462 दिनांक 06/03/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंदित जिसके दक्षिण दिशा में 580 मीटर पर आबादी, पश्चिम दिशा में 05 मीटर पर कच्चा रोड, पूर्वी दिशा में 110 मीटर पर पक्का रोड़ तथा संपूर्ण आवंदित खनन् क्षेत्र पेड़ो से अच्छादित है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ने पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के 500 मीटर की परिधि के अंदर दक्षिण दिशा में एक अन्य खदान कार्यरत दिख रही है जबिक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के समीप ही एक रोड का निर्माण होने के कारण लगातार उत्खनन् कार्य हो रहा है । समिति ने पाया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल—प्रमाण पत्र क्मांक 462 दिनांक 06/03/23 में यह विवरण दर्ज नही है अतः यह जानकारी सिया के माध्यम से संबंधित कलेक्टर के संज्ञान में लाई जाये ।

आज दिनांक 16/05/23 को परियोजना प्रस्तावक जसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रेलम (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पहाड पर पेड़ न होकर करधई की झाडियां है कुल पहाड़ का क्षेत्रफल 10.0 हे. के लगभग है ।

समिति ने पाया कि पेडो की इंवेट्री (पौधो की संख्या उनकी ऊचाई एवं मोटाई एंव प्रजाति) ठीक से प्रस्तुत नहीं की गई है अतः उक्त जानकारी पुनः प्रस्तुत करे । ड्रोन व्हीडियोग्राफी के प्रस्तुतीकरण के

दौरान समिति ने यह पाया कि गारलेंड ड्रेन खदान क्षेत्र तीनो ओर से खुदी पाई गई यह किस के द्वारा खोदी गई, खोदे गये मटेरियल का क्या हुआ इसका प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्राप्त किया जावे ।

समिति ने प्रकरण में परीक्षण के दौरान यह भी पाया कि प्रस्तावित क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र करधई की प्रजाति दिख रही है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र में 05 सेंपल प्लाट सघन करधई क्षेत्र में एवं 05 सेंपल प्लांट खुले हुए / अंशिक रूप से पाये गये करधई क्षेत्र में अलग—अलग तैयार किये जावे ये सेंपल प्लाट क्षेत्र एक क्षेत्र में न होकर पूरे खदान क्षेत्र में फैले हो तथा सेंपल प्लाट के साथ उनके आंक्षास एवं देशांस भी प्रस्तुत किये जावे जिससे यह स्पष्ट हो कि ये सेंपल प्लाट दूर—दूर स्थित है । चर्चा उपरांत निर्णय लिया है, निम्न जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त किया जाये तथा उसके आधार पर आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ।

- अपरोक्तानुसार 10 सेंपल प्लाट की जानकारी एवं अन्य विवरण के प्रस्तावित खदान क्षेत्र की पौधों की संख्या उनकी ऊचाई एवं मोटाई एंव प्रजाति (ट्री इंवेट्री) भी प्रस्तुत करें।
- पहाड़ी के पूर्व दिशा में एक ओर जो खनन् कार्य दिख रहा है उस संबंध में खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जाये ।
- 9. Case No 9825/2023 Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) 1.975 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

10. Case No 9114/2022 M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, DIst. Chhatarpur, MP - 471510, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.416 ha. (45,000 cum per annum) (Khasra No. 1901, 1935, 1937, 1938), Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 1901, 1935, 1937, 1938), Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.416 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 567वीं दिनांक 29 / 04 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 16/05/23 को पिरयोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान में 01 पेड़ लगा दिख रहा है, जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि वह पेड़ काटा नहीं जायेगा । खदान की पिश्चम दिशा में किसी अन्य खदान का ऑफिस/शेल्टर जैसी संरचना दिख रही है। जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी खदानों के श्रमिकों के मकान है इनके चारों ओर सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के बीच का सकरा है वह क्षेत्र नॉन माईनिंग के रूप में छोड़ा जायेगा एवं इसको सरफेस मेंप में दर्शाया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदित क्षेत्र के वायु गुणवत्ता के पिरणाम (पी. एम. 10 एवं पी.एम. 2.5 माईकोन) आस—पास की गतिविधि को देखते हुए कम प्रतीत हो रहे है अतः पिरयोजना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संपर्क के भुगतान के आधार पर वायु गुणवत्ता को डाटा पुनः प्रस्तुत करे ।

11. Case No 9877/2023 Smt. Manvati Gupta, Owner, R/o Ward No. 14, Amarkantak Road, Near Petrol Pump, Tehsil & District-Anuppur (MP)-484224 Prior Environment Clearance for Haweli Stone Crusher Quarry in an area of 1.8760 ha. (14,603 Cum per annum) (Khasra No. 501/3, 502/3, 503/2/GA & 505) Village-Haweli, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur (MP)

This is case of Stone Crusher Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 501/3, 502/3, 503/2/GA & 505) Village-Haweli, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur (MP) 1.8760 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 16/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मानवती गुप्ता ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार, मेसर्स एम.ई.सी. सी. एम, प्रा०. लि०, भोपाल म.प्र. । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 2065 दिनांक 08/12/2022 अनुसार अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में

अन्य कोई खदान स्वीकृत / संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है । खदान के पश्चिम दिशा में क्रमशः 93 मी., 103 मी. पर एंव उत्तर दिशा में 200 मी0 की दूरी पर आवासीय मकान है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवासीय मकान 93 मी., की दूरी पर होने के कारण 10 मीटर का सेटवेक छोड़ा जावेगा । प्रस्तावित खनन् क्षेत्र में खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा एवं इस प्रकरण में ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—42 के सरल कमांक—22 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 14,603 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.54 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.40 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रू.में)
ग्राम हवेली के शासकीय प्राथमिक स्कूल की पुताई एवं मरम्मत ।	30000
ग्राम हवेली के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पेयजल की ब्यवस्था ।	70000
कुल	1,00000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन प्रथम वर्ष	खमेर, शीशम (सिस्सू), काला सिरिस, सागौन, चिरोल एवं नीम इत्यादि	500
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ट्री गार्ड के साथ-	300

	5 मीटर ट्री गार्ड के साथ) प्रथम वर्ष		
3.	तमरी स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक इत्यादि	200
4.	तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम की फलदार वृक्ष इत्यादि	800
		योग	1800

12. <u>Case No 9886/2023 Shri Gajraj Dhakar, Owner, R/o Village-Sagoriya, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP)-476228, Prior Environment Clearance for Bahrara Soil Quarry in an area of 1.254 ha. (1998 Cum per annum) (Khasra No. 780/3/k/1, 780/3/k/2), Village-Bahrara, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP)</u>

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 780/3/k/1, 780/3/k/2), Village-Bahrara, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP) 1.254 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

13. Case No 9892/2023 Shri Vijay Pratap Singh Kushwah, Proprietor, M/s Radha Rani Stone Crusher, R/o Gyan Ganga Building, Nadi Gate, Jayendra Ganj Gird, District-Gwalior (MP)-474009, Prior Environment Clearance for Malkhanpura Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (1,11,720 Cum per annum) (Khasra No. 125), Village-Malkhanpura, Tehsil-Bamor, District-Morena (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 125), Village-Malkhanpura, Tehsil-Bamor,

District-Morena (MP) 2.50 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

14. Case No 9486/2022 Shri Manish Sharma S/o Shri Ramsevak Sharma R/o 46, Shanti Vihar, Darpan Colony, District Gwalior (MP)-476111 Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.575 ha. (Stone – 2,340 Cum per annum & M-Sand- 30,000 Cum per annum) (Khasra No. 23, 24), Village - Gangapur, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (M.P.).

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 23, 24), Village - Gangapur, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.575 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक कमांक 613वीं दिनांक 22/12/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 16/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनीष शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तावित खदान शासकीय भूमि पर है जिसका भूमि उपयोग चारागाह के रूप में दर्ज है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 25 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़, दक्षिण—पूर्वी दिशा में 960 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 375 मीटर पर नहर है जिनकी सरंक्षण की योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । आवंटित खनन् क्षेत्र में 01 पेड़ लगा है जिसे काटा जायेगा उनके एवज् में 20 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के पश्चिम दिशा में लगभग 25 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड है अतः 25 मीटर का सेटवेक छोडा जाना प्रस्तावित है, जिसको प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—55 के सरल कमांक—168 पर दर्ज है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान बिलौआ को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला मार्ग पूर्णत क्षतिग्रस्त हो चूका है। रोजगार, स्कूल में कंप्यूटर चाहिए। खदान के चारो ओर तार फेंसिंग, गांव के स्कूल

में कंप्यूटर मिलना चाहिए। गांव में पानी का छिड़काव होना चाहिए। हमारे गांव मे पेड़-पौधे लगाना चाहिए। आस पास की खेती की भूमि पर हुए डस्ट के बिखराव को देखते हुए वह स्थिति प्रमाणित होती है।मजदूरों की चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं कसंबंध में कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त धूल एवं धुएं के कारण हुए बीमारियों से मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुए है। तालाब अत्यधिक प्रदूषित हो गए है जिसके कारण पीने का पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। स्प्रिंकलर आदि की व्यवस्था नहीं है। रोड का निर्माण नहीं किया गया है। इत्यादि सुझाव / प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि

इनको ई.एम.पी. / सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 10 की वेल्यू अधिक है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 2,340 मी³ प्रति वर्ष एवं एम–सेंड – 30,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.77 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 04.89 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
बच्चो की शिक्षा के लिए गंगापुर के प्राथमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की व्यवस्था की जाएगी।	40,000 / -
ग्राम गंगापुर मे 01 नया हैंडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था की जाएगी।	40,000 / —
योग	80,000 / -

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन प्रथम	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल,	750

	वर्ष	करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01. 5 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	200
3.	गंगापुर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रूद्राक्ष, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	930
4.	शासकीय विद्यालय गंगापुर, में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
5.	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे।	300
		योग	2200

15. Case No 9891/2023 Shri Anurag Jain, Partner, M/s Jain Marble, Behind Shambhu Talkies, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Malhan Dolomite Deposit Mine in an area of 1.20 ha. (36,350 Tonne per annum) (Khasra No. 355/2), Village- Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

This is case of Dolomite Deposit Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 355/2), Village- Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) 1.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 16/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनुराग जैन ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स केएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 232 दिनांक 10/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 3.20 हे. होने के कारण प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है । खदान क्षेत्र खुदा हुआ है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र उन्हे इसी स्थिती में मिला है, पिट को माईनिंग प्लॉन / सर्फेस मेप में दर्शाया गया है। आवंटित खनन् क्षेत्र में 02 पेड़ लगे है जिन्हे काटा जाना प्रस्तावित नही है । खदान के उत्तरी पश्चिम दिशा मे एक कच्चा रोड़ है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50 मीटर तक यह क्षेत्र नॉन

माईनिंग एरिया के रूप में छोडा जायेगा, जिसको प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है । प्रस्तावित खनन् क्षेत्र में खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा एवं इस प्रकरण में ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन उक्त क्षेत्र कक्ष क्रमांक आर.एफ. 459 से दक्षिण दिशा में लगभग 130 मीटर की दूरी पर स्थित है । प्रकरण में संभागीय आयुक्त की समिति की बैठक दिनांक 02/03/23 के द्वारा वन सीमा की ओर आवेदित क्षेत्र चैनलिंग—फेंसिंग करने तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण करने तथा वृक्षारोपण का खदान अवधि तक संरक्षण करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदाय की गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 38 के सरल क्रमांक—40 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 36,350 टन प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेक से तहसील बड़वारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत बरगवां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता अनुसार राशि का व्यय।	1,00,000
ग्राम पंचायत बरगवां के माध्यमिक शाला में 1 कंप्यूटर प्रिंटर एवं टेबल कुर्शी की व्यवस्था।	40,000
प्राचार्य से चर्चा कर बच्चो के खेलने हेतु स्पोर्ट्स किट की व्यवस्था ।	10,000
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1450 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, महुआ,	750

		कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, अचार. करंज, जंगल जलेबी, कदम, सप्तपर्णी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत बरगवां –२ एवं ग्राम मलहन)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
4.	ग्राम पंचायत (बरगवां –२ एवं ग्राम मलहन) के प्राथमिक / माद्यमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, आम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, पुत्रंजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
		योग	1450

16. Case No 9876/2023 CE, NVDA Lower Narmada Pojects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar Indore (MP) Prior Environment Clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 75,000 Ha. of CCA in Dhar district. Total 96 villages of Kukshi Tehsil, 79 village of Tehsil Gandhwani, District-Dhar (MP).

This is a Micro Lift Irrigation Project involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Project in an area of 75,000 ha.(CCA) at 86 villages of Kukshi Tehsil & 79 villages of GandhwaniTehsil of Dhar District (MP).

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri R. S. Mandloi, Executive Engineer, NVDA, Dhar with the following details of the project:

The Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

- 1. Since project involves 33.90 ha., forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
- 2. Bifurcation of RF and PF details (if any).
- 3. Status of land as per land recored register of concerned Collector Office.
- 4. In EIA report details about existing and proposed National Parks/ WLS and their wild life management plan shall be discussed.
- 5. KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
- 6. Details of temporary R&R (if any) shall be discussed in the EIA report.
- 7. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
- 8. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
- 9. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
- 10. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
- 11. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
- 12. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
- 13. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
- 14. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 15. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussed in the EIA report.
- 16. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 17. As forest land is involved in the project FC stage to be clarified with supporting documents alongwith catchment area improvement and natural drainage protection plan shall be discussed in the EIA report.
- 18. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
- 19. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
- 20. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

17. Case No 9826/2023 Shri Sanjay Patwala, 72, Sukh Niwas, Gram Sukh Niwas, Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Jhigadi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (9,894 Cum per annum) (Khasra No. 83) Village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 83) Village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा

18. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – बालाघाट (रेत खनिज)

आज दिनांक 16/05/2023 को बालाघाट जिले की संशोधित (रेत खनिज) पर चर्चा की गई । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—बालाघाट, म.प्र. के पत्र क्रमांक 557 दिनांक 16/05/2023 के माध्यम से अवगत कराया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) के पत्र क्रमांक 209 दिनांक 21/04/2023 एंव संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क0. 5175 दिनांक 28/04/2023 का संदर्भ देते हुये उल्लेख किया गया है, कि ऐसे प्रकरणों जिसमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंक्षाश एंव देशांश जिसमें संशेधन है उसे सक्षम अधिकारी से पुनः अनुमोदित कराकर सिया/सेक के समक्ष निर्धारित अनुसार प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतएव दिये गये निर्देशों के पालन में खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें द्वारा आज जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) जिला—बालाघाट प्रस्तुत की गयी, जिसमें बताया गया कि माइनिंग प्लानों में से 26 रेत खदानों के अक्षंश—देशांश में आंशिक संशोधन होना पाया गया जिसे अधिकृत सक्षम तकनीकी अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर संशोधन किया गया है जिसमें उक्त 26 रेत खदानों में खसरा/रकबा पूर्व अनुसार ही है। उक्त खदानों में खसरा/रकबा एंव नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एंव उत्पादन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समिति ने पाया कि पूर्व में कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—बालाघाट, म.प्र. ने पत्र क्रमांक 620 दिनांक 25/04/2022 के माध्यम से अवगत कराया था कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021—2022 का गठित समिति द्वारा अनुमोदन उनकी बैठक दिनांक 20/04/2022 में किया गया था।

अतः समिति की अनुशंसा है, कि कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—बालाघाट, म.प्र.के पत्र क्०. 557 दिनांक 16/05/2023 माध्यम से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) के चेप्टर 3 की तालिका —03 पेज न0.—09—30 मे पुनरीक्षित अक्षांश—देशांस प्रस्तुत किये गये है। अतः अनुशंसित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) की ओर प्रेषित की जाये।

समिति द्वारा सुझाये गये बिंदु जिनपर सिया द्वारा विचार किया जाना प्रस्तावित :-

समिति का सुझाव है कि समरूप प्रकरणों में जो एक बड़ी पहाड़ी शृंखला का हिस्सा हो ऐसी पहाडियों पर कोई भी खनन् कार्य न किया जावे इस हेतु एक नीतिगत निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा पूर्व में कई खनन् कार्य जो स्वीकृत हुए है यद्यपि सभी संवेदनशीलता को ध्यान में रख के आवश्यक उपाय का प्रावधान समिति द्वारा दिया गया था जिससे कि पर्यावरणीय घटको को न्यूनतम क्षति खनन् कार्य से हो। परन्तु खनन् कार्य से खनिज संपदा एवं स्थानीय रोजगार तथा राज्य शासन का राजस्व भी जुड़ा हुआ विषय है। अतः किस स्वरूप की पहाड़ी शृखलाओ पर खनन् किया जावे अथवा न किया जावे इस हेतु नीतिगत निर्णय सिया स्तर से लिया जाना उचित होगा। ऐसे चयनित पर्वत शृखलाओं से सूचिबद्ध किया जाकर प्राथमिक स्तर पर ही इनका परीक्षण कर लिया जावे तथा इस समिति को पुनः तकनीकी परीक्षण की पुनः आवश्यकता ही न पड़े।

कई प्रकरणों में ऐसे प्रकरण सामने आये कि जिसमें इन बिंदुओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के आस—पास के रहवासी के दृष्टिकोण से आवश्यक संरक्षण के उपाय समिति द्वारा प्रस्तावित किये गये थे उसी कम में यह प्रकरण भी है जिसमें आपके द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर समिति द्वारा आवश्यक उपाय सुझाये गये थे यदि किसी वर्जन पहाड़ी पर खनन् कार्य नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय भविष्य हेतु लिया जाना होगा । प्रकरणों के तकनीकी परीक्षण के पूर्व ही उस पर यथोचित निर्णय लिया जाना उचित होगा ।

्र्रे / (चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)

अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall

- maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated

- EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna

- during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and

- CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतू निर्देश :-

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतू प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

• स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात रोपण।

- अंकुरण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	पंक्ति शाकीय पीधे जैसे : खर्स, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी
 दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर